iij & 2 % fuxeh; rFkk vU; fof/k;k¡

Hkkx & vkonu ykxw djus dh ?kks"k.kk,¡

uoEcj 2018 ijh{kkvksa ds fy,

uoEcj 2018 ijh{kkvksa ds fy, iz;ksT;rk

अध्ययन सामग्री (जुलाई 2017 संस्करण) 30 अप्रैल, 2017 तक सभी संशोधन के लिए अद्यतन किया जाता है। इसके अलावा, अवधि के लिए कम्पनी कानून भाग में सभी प्रासंगिक संशोधन / परिपत्र/ सूचनाएं आदि 1 मई 2017 से 30 अप्रैल 2018 तक नीचे दिया गया हैं :–

1 मई 2017 से 30 अप्रैल, 2018 तक नीचे दिया गया है :

1 मई 2017 से 30 अप्रैल 2018 के लिए प्रासंगिक विधान में संशोधन				
कंपनी अधिनियम, 2013 / कॉर्पोरेट कानून				
क्र. सं.	से संबंधित संशोधन	प्रासंगिक संशोधन	पृष्ठ संख्या	पहले का कानून
1.	कम्पनियों का प्रवर्तनअनुभाग 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और धारा 73 के साथ 469 (1) व 469 (2) को पढ़ने में (जमा की स्वीकृति संशोधन नियम, 2017 अधिसूचना जीएसआर 454 (ई) दिनांक 11 मई, 2017	कम्पनियों में (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 में, नियम 2 में, उप–नियम (1) में, खंड (सी) में, उप–खंड (xviii) में, "घरेलू वेंचर कैपिटल फंड" शब्द के बाद शब्द "इंफ्रास्ट्रक्चर इंवेस्टमेंट ट्रस्ट" डाले जाएंगे।	5.4	(शब्दों को कथित उप–खंड में नए डाले गए हैं) (xviii) वैकल्पिक निवेश निधि, घरेलू वेंचर कैपिटल फंड और म्यूचुअल फंड से कम्पनी द्वारा प्राप्त किए राशि नियमों के अनुसार भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के साथ पंजीकृत व इसके अनुसार

© The Institute of Chartered Accountants of India

				बनाये गये विनियमन। A
2.	सरकारी कम्पनियों (देखे अधिसूचना जीएसआर 585 (ई) दिनांक 13 जून 2017 को छूट	केन्द्रीय सरकार ने अधिसूचना जीएसआर 463 (ई) में संशोधन दिनांक 5 जून 2015, किया जिससे अपवादो, संशोधनों और रूपांतरों सरकारी कंपनियो के मामले में प्रदान किये गये संशोधन निम्नलिखित है : धारा 96 के उपधारा (2) में, "इस तरह की अन्य जगह केंद्र सरकार के रूप में इस तरफ स्वीकृति दे सकती है" शब्दों के लिए, "शहर, शहर या गांव के भीतर ऐसी अन्य जगह जिसमें कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय स्थिति या ऐसी अन्य जगह है क्योंकि केन्द्र सरकार इस तरफ से स्वीकृति दे सकती है "प्रतिस्थापित किया जाएगा।"	7.51	इस तरह की दूसरी जगह केंद्र सरकार इस तरफ से मंजूरी दे सकती है।
		प्रिंसिपल अधिसूचना जीएसआर 463 (ई) में पैरा 2A की प्रविष्टि, 5 जुन 2015 दिनांक : उपर्युक्त अपवाद, संशोधन और अनुकूलन (यानि 5 जून 2015 की अधिसूचना जीएसआर 463 (ई) में दी गई अधिसूचना और		

© The Institute of Chartered Accountants of India

		अधिसूचना जीएसआर 582 (ई) दिनांक 13 जून, 2017) एक सरकारी कम्पनी के लिए लागू होगी जिसने चूक नहीं की है। कंपनी अधिनियम की धारा 137 के तहत अपने वित्तीय विवरणों को दाखिल करना या रजिस्ट्रार के साथ अधिनियम के धारा 92 के तहत वार्षिक रिटर्न दाखिल करना।		
3.	निजी कम्पनियों देखे अधिसूचना जीएसआर 583 (ई) 13 जून 2017 दिनांक को छूट	केन्द्र सरकार अधिसूचना जीएसआर 464 (ई), 5 जून 2015 दिनांकित जिससे अपवाद, संशोधन और रूपांतरो निजी कंपनियों के मामले में प्रदान किया गया हरजाना। निम्नलिखित संशोधन हैं :		
		(1) अध्याय 1 में, धारा 2 के खंड (40)। प्रावधान के लिए, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :– बशर्ते कि एक व्यक्ति कम्पनी, छोटी कम्पनी, निष्क्रिय कम्पनी और निजी कम्पनी (यदि ऐसी निजी कम्पनी स्टार्ट–अप है) के संबंध में वित्तीय विवरण, नकद प्रवाह विवरण शामिल नहीं हो सकता है; स्पष्टीकरण – इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, वें ई टर्म	1.9	बशर्ते कि एक व्यक्ति कम्पनी, छोटी कम्पनी और निष्क्रिय कम्पनी के संबंध में वित्तीय विवरण में नकद प्रवाह विवरण शामिल नहीं हो सकता है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

		"स्टार्ट– अप" या "स्टार्ट–अप कम्पनी" का मतलब कम्पनी अधिनियम, 2013 या कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत शामिल एक निजी कम्पनी है और इसे स्टार्ट – अप के अनुसार पहचाना जाता है औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना।		
		(2) अध्याय V में, धारा 73 के उपधारा (2) के खंड (ए) से (ई), एक निजी कम्पनी पर लागू नही होंगे – (ए) जो अपने सदस्यों से स्वीकार करता है वह पेड अप शेयर पूंजी, मुफ्त संचय और प्रतिभूति प्रीमियम खाते की कुल से 100% से अधिक नही है। (बी) जो इसके निगमन की तारीख से पा¡च साल के लिए स्टार्ट–अप है; या (सी) जो निम्नलिखित सभी शर्तों को पूरा करता है, अर्थात् :– (ए) जो किसी अन्य	5.6	धारा 73 के खंड (ए) से (ई) सदस्यों में जमा की स्वीकृति के लिए शर्ते प्रदान करता है। 5 जून, 2015 की अधिसूचना, बशर्ते कि धारा 73 के उपधारा 2 के खंड (ए) से (ई) निजी कम्पनियों पर लागू नहीं होगा जो भुगतान के कुल के एक सौ प्रतिशत से अधिक नहीं है, जो अपने सदस्यों से स्वीकार करता है पूंजी और

© The Institute of Chartered Accountants of India

		कम्पनी की सहयोगी या सहायक कम्पनी नहीं है; (बी) यदि बैंक या वित्तीय संस्थानों या किसी भी बॉडी कॉरपोरेट से ऐसी कम्पनी का उधार अपनी भुगतान पूंजी पूijजी या पचास करोड़ रुपए से कम है, जो भी कम हो; तथा (सी) इस तरह के एक कम्पनी ने इस धारा के तहत जमा स्वीकार करने के समय मौजूद उधार के पुनर्भुगतान में चूक नहीं की है: बशर्ते कि क्लॉज (ए), (बी) या (सी) में निर्दिष्ट कम्पनी रजिस्ट्रार को निर्दिष्ट तरीके से स्वीकार किए गए पैसे का विवरण दर्ज करेगी।		निःशुल्क भंडार साझा करें, और ऐसी कम्पनी रजिस्ट्रार को निर्दिष्ट तरीके से स्वीकार किए गए पैसे के विवरण दर्ज करेगी।
		(3) अध्याय VII में, धारा 92 के उपधार (1) के खंड (जी) निजी कम्पनियों पर लागू होंगे जो छोटी कम्पनियों हैं, अर्थात् – "(जी) निदेशकों द्वारा निकाली गई पारिश्रमिक की कुल राशि,"	7.11	धारा 92 की उपधारा (1) के खंड (जी) को "निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों के पारिश्रमिक" के रूप में पढ़ा जाता है।
		(4) अध्याय VII में,	7.12	(4) हालांकि,

© The Institute of Chartered Accountants of India

		,खंड 92 के उपधारा (1) के प्रावधान, प्रावधान के लिए, निम्नलिखित प्रावधान प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :– ''बशर्ते कि एक व्यक्ति कम्पनी, छोटी कम्पनी और निजी कम्पनी (यदि ऐसी निजी कम्पनी स्टार्ट–अप है) के संबंध में, वार्षिक रिटर्न कम्पनी सचिव द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा, या जहा¡ कोई कम्पनी सचिव नहीं है, निदेशक द्वारा हस्ताक्षर होंगे।		एक व्यक्ति कम्पनी और छोटी कम्पनी के संबंध में, सालाना रिटर्न पर कम्पनी सचिव, या जहा¡ कोई कम्पनी सचिव नहीं है, तो कम्पनी के निदेशक द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।
		(5) धारा 143 (3)(i), एक निजी कम्पनी पर लागू नहीं होगा :– (i) जो एक व्यक्ति कम्पनी या एक छोटी कम्पनी है; या (ii) जिसका नवीनतम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण या के अनुसार रूपये पचास करोड़ रूपये से कम कारोबार है, जिसमें बैंकों या वित्तीय संस्थानों या किसी भी समय कॉर्पोरेट से कुल पचास करोड़ रुपये से कम वित्तीय वर्ष के दौरान	10.24	(5) धारा 143 (3) (i) प्रदान करता हैं – क्या कम्पनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और इस तरह के नियंत्रण की ऑपरेटिंग प्रभावशीलता है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

		कॉर्पोरेट ऋण लेते हैं।"		
		प्रिंसिपल अधिसूचना जीएसआर 464 (ई) में पैरा 2A की प्रविष्टि, 5 जून 2015 दिनांक : उपरोक्त अपवाद, संशोधन और अनुकूलन एक निजी कम्पनी के लिए लागू होंगे, जिसने धारा 137 के तहत अपने वित्तीय विवरणों को दर्ज करने या रजिस्ट्रार के साथ अधिनियम के धारा 92 के तहत वार्षिक रिटर्न दाखिल करने में डिफॉल्ट नहीं किया है।		
4.	शुद्धिपत्र अधिसूचना अतः 2218 (ई) दिनांक 13 जुलाई 2017 अधिसूचना जीएसआर 583 (ई) दिनांक 13 जून 2017 के संबंध में	कॉरपोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्रिजेंडम ने कहा कि धारा 143 (3) (i) के तहत "कथन" या "कथन" के रूप में पढ़ने के लिए "शब्द" के लिए।	उपरोक्त बिंदु 3 का संदर्भ लें	धारा 143 (3) (i) (ii) में "अधिसूचना" शब्द थे जिन्हें इस अधिसूचना के माध्यम से "कथन" शब्द के साथ बदल दिया गया है।
5.	कम्पनियों अंकेक्षण परीक्षा और अंकेक्षकों द्वितीय संशोधन नियम, 2017 में कही गई अधिसूचना जीएसआर 621 (ई) दिनांक 22 जून 2017 अनुभाग 139 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रवर्तन।	केंद्र सरकार इस प्रकार कम्पनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षकों) नियम, 2014 में संशोधन करती है। इस संशोधन नियम के माध्यम से, नियम 5 (बी) में, "बीस" शब्द के लिए, शब्द "पचास" प्रतिस्थापित किया जाएगा।	10.6	इससे पहले नियम 5 (बी) ने कहा कि – निजी, निजी कम्पनियों ने 20 करोड़ रूपये या उससे अधिक की शेयर पूंजी का भुगतान किया है;
6.	धारा 143 (3) (i)	अधिसूचना सं.	–	उपधारा (3) के खंड

© The Institute of Chartered Accountants of India

	के तहत कुछ निजी कम्पनियों को छूट के प्रयोज्यता के संबंध में स्पष्टीकरण परिपत्र सं. 08/2017 दिनांक 25 जुलाई 2017।	जीएसआर 583 (ई) दिनांक 13 जून, 2017 ने कहा कि धारा 143 (3) (i) के तहत रिपोर्टिंग की आवश्यकताओं को कम्पनी अधिनियम 2013 की कम्पनियों (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षकों) नियम, 2014 के नियम 10 ए को कुछ निजी कम्पनियों के लिए लागू नहीं किया जाएगा। इस परिपत्र के मुद्दे के माध्यम से, इस प्रकार यह स्पष्ट किया जाता है कि छूट 1 अप्रैल, 2016 को या उसके बाद शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष से संबंधित वित्तीय विवरणों के संबंध में उन लेखापरीक्षा रिपोर्टों के लिए लागू होगी, जो कहा गया है या तिथि के बाद अधिसूचना।		(i) के प्रयोजनों के लिए धारा 143, 1 अप्रैल, 2015 को या उसके बाद शुरू होने वाले वित्तीय वर्षों के लिए, लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली और इसकी परिचालन प्रभावशीलता के अस्तित्व के बारे में बताएगी : बशर्ते कि किसी कम्पनी के लेखा परीक्षक स्वेच्छा से 1 अप्रैल, 2014 को या उसके बाद शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए इस नियम में उल्लिखित बयान शामिल कर सकते हैं और 31 मार्च, 2015 को या उससे पहले समाप्त हो सकते हैं
7.	धारा 143 (3) (i) के तहत कुछ निजी कम्पनियों को छूट के प्रयोज्यता के संबंध में स्पष्टीकरण परिपत्र सं. 08/2017	अधिसूचना सं. जीएसआर 583 (ई) दिनांक 13 जून, 2017 ने कहा है कि धारा 143 (3) (i) के तहत रिपोर्टिंग की आवश्यकताओं को कम्पनी अधिनियम 2013 की कम्पनियों	–	उपधारा (3) के खंड (i) के प्रयोजनों के लिए धारा 143, 1 अप्रैल, 2015 को या उसके बाद शुरू होने वाले वित्तीय वर्षों के लिए, लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर्याप्त आंतरिक वित्तीय

© The Institute of Chartered Accountants of India

	दिनांक 25 जुलाई 2017	(लेखा परीक्षकों) नियम, 2014 के नियम 10 ए को कुछ निजी कम्पनियों के लिए लागू नहीं किया जाएगा। इस परिपत्र के मुद्दे के माध्यम से, इस प्रकार यह स्पष्ट किया जाता है कि छूट 1 अप्रैल, 2016 को या उसके बाद शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष से संबंधित वित्तीय विवरणों के संबंध में उन लेखापरीक्षा रिपोर्टों के लिए लागू होगी, जो कहा गया है या तिथि के बाद अधिसूचना।		नियंत्रण प्रणाली और इसकी परिचालन प्रभावशीलता के अस्तित्व के बारे में बताएगीः बशर्ते कि किसी कम्पनी के लेखा परीक्षक स्वेच्छा से 1 अप्रैल, 2014 को या उसके बाद शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए इस नियम में उल्लिखित बयान शामिल कर सकते हैं और 31 मार्च, 2015 को या उससे पहले समाप्त हो सकते हैं।
8.	कम्पनियों का प्रवर्तन (जमा की स्वीकृति) द्वितीय संशोधन नियम, 2017 देखे अधिसूचना जीएसआर 1172 (ई) खंड 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और साथ 73 पढ़ने में सितम्बर 2017 19 दिनांकित 469 (1) और 469 (2)।	उप–नियम (3) में, नियम 3 में कम्पनियों (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 में, प्रावधान के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :– "बशर्ते कि एक निर्दिष्ट आईएफएससी पब्लिक कम्पनी और एक निजी कम्पनी अपने सदस्यों से एक सौ प्रतिशत से ज्यादा न हो। पेड अप शेयर पूंजी, फ्री रिजर्व और सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट की	5.8	बशर्ते कि एक निजी कम्पनी अपने सदस्यों से स्वीकार कर सकती है, जो कि पेड अप शेयर पूंजी फ्री रिजर्व और सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट के कुल सौ प्रतिशत से ज्यादा नहीं है और ऐसी कम्पनी रजिस्ट्रार को इस तरह से स्वीकार किए गए पैसे के विवरण दर्ज करेगी निर्दिष्ट किया जा सकता है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

		कुल राशि और ऐसी कम्पनी फॉर्म डीपीटी – 3 में रजिस्ट्रार को स्वीकार किए गए पैसे का विवरण दर्ज करेगी। स्पष्टीकरण 1 – इस नियम के प्रयोजन के लिए, एक निर्दिष्ट आईएफएससी पब्लिक कम्पनी का अर्थ है एक असूचीबद्ध सार्वजनिक कम्पनी जिसका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड या भारत के बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित करने के लिए लाइसेंस प्राप्त है। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 के तहत एक अनुमोदित बहु सेवा विशेष आर्थिक जोन सेट–अप में स्थित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 के साथ पढ़ा गया है : बशर्ते कि सदस्यों से जमा किए जाने वाले जमा के संबंध में अधिकतम सीमा निजी कम्पनियों के निम्नलिखित वर्गों पर लागू न हो, अर्थात् :–		

© The Institute of Chartered Accountants of India

		(i) एक निजी कम्पनी जो इसके निगमन की तारीख से पा¡च साल के लिए स्टार्ट–अप है ; (ii) एक निजी कम्पनी जो निम्नलिखित सभी शर्तों को पूरा करती है, अर्थात् : (ए) जो किसी अन्य कंपनी के सहयोगी या सहायक नहीं है; (बी) बैंक या वित्तीय संस्थानों या किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट से ऐसी कम्पनी का उधार इसकी भुगतान की गई पू¡जी या पचास करोड़ रूपए से कम है, जो भी इनमें से कम हो; तथा (सी) ऐसी कम्पनी ने धारा 73 के तहत जमाए स्वीकार करने के समय मौजूद उधार के पुनर्भुगतान में चूक नहीं की है : बशर्ते कि जमा करने वाली सभी कम्पनियां फॉर्म डीपीटी – 3 में रजिस्ट्रार को स्वीकार किए गए पैसे के विवरण दर्ज करेंगी।"		
9.	20 सितम्बर 2017 की	केन्द्र सरकार इसके द्वारा तारीख, जिसे कहे	1.20	प्रतिबन्ध नव अधिसूचित है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

	अधिसूचना एसओ 3086 (ई) के माध्यम से।	गए अधिनियम की धारा 2 के ,खंड (87) के प्रावधान को अस्तित्व में आ जाएगा के रूप में 20 सितम्बर 2017 को नियुक्त करता है। धारा 2 (87) के प्रावधान को पढ़ा जाएगा, "प्रदान किया गया है कि – होल्डिंग कंपनियों की ऐसी श्रेणी या श्रेणिया निर्धारित की जा सकती हैं, ऐसी संख्याओं से परे सहायक कंपनियों की परतें निर्धारित नहीं की जा सकती हैं।"		
10.	कम्पनियां (संशोधन) अधिनियम, 2017	कम्पनी अधिनियम, 2013 के वर्गों के बाद, कम्पनियों (संशोधन) अधिनियम, 26 से प्रभावी 2017 तक संशोधित किया गया है जनवरी, 2018 (अधिसूचना अतः 351 (ई) और 9 से फरवरी, 2018 (अधिसूचना अतः 630 (ई)		
		1. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 में (इसके बाद प्रिंसिपल अधिनियम के रूप में) – प्रवर्तन दिनांक :		

© The Institute of Chartered Accountants of India

		9 फरवरी 2018		
		(i) खंड (28) के लिए, निम्नलिखित खंड, प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात् :– '(28) "लागत लेखाकार" का अर्थ लागत और कार्यलेखाकार अधिनियम, 1959 की धारा 2 के उपधारा (1) के खंड (बी) में परिभाषित लागत लेखाकार है और जो उपधारा के तहत अभ्यास का वैध प्रमाण पत्र रखता है (1) उस अधिनियम की धारा 6 के;	1.7	लागत एकाउंटेंट का मतलब लागत और कार्य लेखाकार अधिनियम, 1959 की धारा 2 के उपधारा (1) के खंड (बी) में परिभाषित लागत लेखाकार है।
		(ii) खंड (30) में, निम्नलिखित परंतुक डाला जाएगा, अर्थात् :– "बशर्ते कि – (ए) रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम, 1934 के अध्याय III-D में निर्दिष्ट उपकरण; तथा (बी) इस तरह के अन्य उपकरण, जैसा कि एक कंपनी द्वारा जारी भारतीय रिजर्व बै।क के परामर्श से केन्द्र	1.8	प्रतिबन्ध नया डाला गया है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

		सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, डिबेंचर के रूप में नही माना जाएगा;"		
		(iii) खंड (41) में, पहले परंतुक में, शब्द "सहायक", शब्द "या सहयोगी कम्पनी' के बाद सम्मिलित किया जाएगा;	1.9	– (शब्द नए डाले गए हैं) जो एक होल्डिंग कम्पनी या इंडस्ट्रीज आइए बाहर निगमित कंपनी की सहायक कंपनी है
		(iv) खंड (46) में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण डाला जाएगा, अर्थात् :– 'स्पष्टीकरण – इस खंड के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति "कम्पनी" में किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट शामिल है;'A	1.11	– (स्पष्टीकरण नया डाला गया है)
		(v) खंड (49) छोड़ा जाएगा	1.11	(4 9) इच्छुक निदेशक का मतलब है कि एक निदेशक जो किसी भी तरह से है, चाहे वह स्वयं या उसके किसी भी रिश्तेदार या फर्म, बॉडी कॉरपोरेट या व्यक्तियों के अन्य संगठन के माध्यम से, जिसमें वह या उसके रिश्तेदार साथी,

© The Institute of Chartered Accountants of India

				निदेशक या सदस्य हैं, एक अनुबंध या व्यवस्था में रूचि रखते हैं, या प्रस्तावित अनुबंध या व्यवस्था, कंपनी द्वारा या उसके द्वारा दर्ज या प्रवेश करने के लिए; यह परिभाषा निदेशक मंडल की बैठकों के लिए धारा 184 के लिए प्रासंगिक है, निदेशकों द्वारा ब्याज के प्रकटीकरण से संबंधित धारा 184 और कम्पनी अधिनियम, 2013 के संबंधित पार्टी लेनदेन से संबंधित धारा 188 के लिए।
		खंड (51) में (vi), - (ए) उपखंड (iv) में, शब्द "और" छोड़ा जाएगा; (बी) उप–खंड (v) के लिए, निम्नलिखित उप–खंडों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :– "(v) ऐसे अन्य अधिकारी, निदेशक के नीचे एक से अधिक स्तर नहीं जो पूर्णकालिक रोजगार में	1.11	(iii) पूरे समय के निदेशक; (iv) मुख्य वित्तीय अधिकारी; तथा (v) ऐसे अन्य अधिकारी को निर्धारित किया जा सकता है;

© The Institute of Chartered Accountants of India

		हैं, बोर्ड द्वारा प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों के रूप में नामित; और (vi) ऐसे अन्य अधिकारी को निर्धारित किया जा सकता है;"		
		(छ) खंड (57) में, शब्द "अैर प्रतिभूतियों प्रीमियम खाता" शब्दों के लिए ", प्रतिभूतियों प्रीमियम खाते और लाभ – हानि खाते के डेबिट या क्रेडिट संतुलन," प्रतिस्थापित किया जाएगा	1.12	.... कुल मिलाकर कटौती के बाद भुगतान – भुगतान शेयर पूंजी का कुल मूल्य और मुनाफे और प्रतिभूतियों प्रीमियम खाते से बनाए गए सभी रिजर्व ......
		(ii) (V iii) खंड (71) (ii) (क), शब्द "कम्पनी," के बाद, शब्द "और" डाला जाएगा;	1.15	(शब्द नया डाला गया है)
		(झ) खंड (72), परंतुक में, खंड (ए) में, के बाद शब्द "राज्य अधिनियम", शब्द "इस अधिनियम या पिछले कम्पनी कानून के अलावा अन्य" डाला जाएगा;	1.16	(शब्द नया डाला जाता है)
		(x) (76) में, सब–क्लॉज (ज) के लिए, निम्नलिखित उप–खंड, प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात् :– "(viii) कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जो – (ए) ऐसी कम्पनी की	1.17	(viii) कोई भी कंपनी जो – (ए) ऐसी कम्पनी की होल्डिंग, सहायक या एक सहयोगी कम्पनी; या (बी) एक होल्डिंग

© The Institute of Chartered Accountants of India

		होल्डिंग, सहायक या एक सहयोगी कंपनी है; (बी) एक होल्डिंग कम्पनी की सहायक कम्पनी जिसके लिए यह सहायक भी है; या (सी) एक निवेश कम्पनी या कम्पनी के उद्यमक;"; स्पष्टीकरण 1 – इस खंड के प्रयोजन के लिए, "निवेश कम्पनी या कम्पनी के उद्यमकर्ता" का अर्थ है बॉडी कॉरपोरेट जिसका कम्पनी में निवेश होगा, जिसके परिणामस्वरूप कम्पनी बॉडी कॉरपोरेट की एक सहयोगी कम्पनी बन जाएगी।		कम्पनी की सहायक कम्पनी जिसके लिए यह सहायक भी है;
		खंड (xi) (85) – (ए) उपखंड (i) में, "पा¡च करोड़ रूपए" शब्दों के लिए, "दस करोड़ रूपए" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;	1.20	के लिए (ए) पेड–अप शेयर पू¡जी जिसमें पचास लाख रूपये या इससे अधिक नहीं है निर्धारित की जा सकने वाली उच्च राशि जो पा¡च करोड़ से अधिक नहीं होनी चाहिए रुपये ; या
		(बी) उपखंड में (ii), - (ए) "अपने पिछले लाभ		(बी) के लिए :– जिसका करोबार

© The Institute of Chartered Accountants of India

		और हानि खाते के अनुसार" शब्दों के लिए, "तत्काल वित्तीय वर्ष के लिए लाभ और हानि खाते के अनुसार" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे; (बी) "बीस करोड़ रूपए" शब्दों के लिए, "सौ करोड़ रूपये" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;		पिछले लाभ और हानि खाते के मुताबिक दो करोड़ रूपये से अधिक नहीं है या ऐसी उच्च राशि निर्धारित की जा सकती है जो बीस करोड़ रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए :
		(बारहवीं) खंड (91) के लिए, निम्नलिखित खंड, प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात् :– '(9 1) "कारोबार" का अर्थ है वित्तीय वर्ष के दौरान किसी कंपनी द्वारा माल की बिक्री, आपूर्ति, या वितरण या प्रदान की जाने वाली सेवाओं के कारण, या दोनों के लाभ और हानि खाते में मान्यता प्राप्त राजस्व की कुल राशि;	1.21	(9 1) टर्नओवर का मतलब है कि वित्तीय वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा माल की बिक्री, आपूर्ति या वितरण या प्रदान की जाने वाली सेवाओं के कारण या दोनों के द्वारा किए गए राशि की प्राप्ति का कुल मूल्य; नोट : परिभाषा में अस्पष्टता में है। इसलिए, इस परिभाषा में संशोधन की आवश्यकता है। इसके अलावा, परिभाषा में परिवर्तन कम्पनियों (संशोधन) विधेयक, 2016 में लंबित है।
		2. प्रमुख अधिनियम की धारा 3 के बाद, निम्नलिखित खंड डाला	2.4	– (अनुभाग नया डाला गया है)

© The Institute of Chartered Accountants of India

		जाएगा, अर्थात् :— "3 ए । अगर किसी कम्पनी के सदस्यों की संख्या कम हो जाती है, तो सार्वजनिक कम्पनी के मामले में, सात से नीचे, एक निजी कम्पनी के मामले में, दो से नीचे, और कम्पनी छह महीने से अधिक समय तक व्यवसाय करती है जबकि सदस्यों की संख्या इतनी कम हो गई है, हर व्यक्ति जो उस कम्पनी के सदस्य हैं, जब वह छह महीने के बाद करोबार पर चलता है और इस तथ्य से अवगत है कि यह सात से कम सदस्यों या दो से कम कारोबार कर रहा है सदस्य, जैसा भी मामला हो, उस समय के दौरान अनुबंधित कंपनी के पूरे ऋण के भुगतान के लिए अलग—अलग उत्तरदायी होगा, और इसके लिए गंभीर रूप से मुकदमा चलाया जा सकता है।" प्रवर्तन दिनांक : 9 फरवरी 2018		
		3. प्रिंसिपल अधिनियम की धारा 4 में, उपधारा	2.11	एक आवेदन प्राप्त होने पर, रजिस्ट्रार

© The Institute of Chartered Accountants of India

		में (5), खंड (i) के लिए, निम्नलिखित, प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात् :– "(i) उपधारा (4) के तहत आवेदन प्राप्त होने पर, रजिस्ट्रार आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई जानकारी और दस्तावेजों के आधार पर, अनुमोदन की तारीख से बीस दिनों की अवधि के लिए नाम आरक्षित कर सकता है जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है अन्य अवधि : बशर्ते कि नाम के आरक्षण के लिए आवेदन या किसी मौजूदा कम्पनी द्वारा उसके नाम बदलने के मामले में, रजिस्ट्रार अनुमोदन की तारीख से साठ दिनों की अवधि के लिए नाम आरक्षित कर सकता है।" प्रवर्तन दिनांक 26 जनवरी 2018		जानकारी और आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर, नाम साठ दिनों की अवधि से आवेदन की तिथि के लिए सुरक्षित रखते हैं।
		4. प्रिंसिपल अधिनियम की धारा 21, शब्दों के लिए में "कम्पनी के एक अधिकारी", शब्द "एक अधिकारी या कम्पनी के कर्मचारी" प्रतिस्थापित	2.35	(ii) इस ओर से बोर्ड द्वारा विधिवत अधिकृत कम्पनी के एक अधिकारी।

© The Institute of Chartered Accountants of India

		किया जाएगा प्रवर्तन दिनांक : 9 फरवरी 2018		
		5 प्रिंसिपल अधिनियम की धारा 35 में, उपधारा (2), खंड (ख) के बाद, निम्न खंड, डाला जाएगा अर्थात् :— "(ग) कि, एक विशेषज्ञ द्वारा किए जाने वाले हर भ्रामक बयान के संबंध में या किसी रिपोर्ट के निहित या किसी विशेषज्ञ के मूल्यांकन से निकालने के लिए जो अधिकार है, यह बयान का सही और निष्पक्ष प्रतिनिधित्व था, या एक सही प्रतिलिपि, या रिपोर्ट या मूल्यांकन से सही और निष्पक्ष निकालने; और उसके पास विश्वास करने के लिए उचित आधार था और प्रोस्पेक्टस के मुद्दे के समय तक किया गया था, कि बयान देने वाला व्यक्ति सक्षम था इसे बनाओ और कहा गया है कि उस व्यक्ति ने प्रॉस्पेक्टस के मुद्दे पर धारा 26 के उपधारा (5) द्वारा आवश्यक सहमति दी थी और	3.22	- (खंड नया डाला गया है) बिंदु (2) के बाद बिंदु (2) में डालने के लिए

© The Institute of Chartered Accountants of India

		पंजीकरण के लिए प्रॉस्पेक्टस की एक प्रतिडिलीवरी से पहले या प्रतिवादी के ज्ञान के लिए उस सहमति को वापस नहीं लिया था, आवंटन से पहले।"। प्रवर्तन दिनांक :– 9 फरवरी 2018		
		6. धारा 47 में, उपधारा (1) में, शब्द, आंकड़े और कोष्ठक "खंड 50 की धारा 43 और उप–धारा (2) के प्रावधानों", शब्द, आंकड़े और कोष्ठक "धारा 43 के प्रावधानों के लिए, धारा 50 के उपधारा (2) और धारा 188 के उपधारा (1)" को प्रतिस्थापित किया जाएगा। प्रवर्तन दिनांक : 9 फरवरी 2018	4.6	प्वाइंट (i) में, निम्नलिखित जोड़ा जा सकता है, "विषय के अधीन धारा 43 के प्रावधान, धारा 50 के उपधारा (2) और धारा 188 के उपधारा (1),"
		7. खंड 53 में प्रिंसिपल अधिनियम, – (ii) उपधारा (2) के बाद, निम्नलिखित उपधारा डाला जाएगा, अर्थात् :– "(2 ए) उपधारा (1) और (2) में निहित कुछ भी होने के बावजूद,	4.10	(i) के लिए :– (उपधारा नया डाला गया है)

© The Institute of Chartered Accountants of India

		एक कम्पनी अपने लेनदारों को छूट पर शेयर जारी कर सकती है जब उसके ऋण को किसी भी वैधानिक संकल्प योजना या ऋण पुनर्गठन योजना के अनुसार शेयरों में परिवर्तित किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम, 1 9 34 या बैंकिंग (विनियमन) अधिनियम, 1 9 4 9 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट किसी भी दिशा निर्देश या दिशा निर्देश या नियमों के साथ।" प्रवर्तन दिनांक : 9 फरवरी 2018 A		
		8. खंड 62 में प्रिंसिपल अधिनियम, – (i) उपधारा (1) में, खंड (सी) में, "पंजीकृत मूल्य निर्धारक के शब्दों के लिए निर्धारित शर्तों के अधीन" शब्दों के लिए, एक पंजीकृत मूल्य निर्धारक के शब्द और आंकड़े "के अनुपालन के अधीन अध्याय III के लागू प्रावधान और निर्धारित की जा सकने	4.22	के लिए (i) (सी) किसी भी लोगों को है, अगर यह एक विशेष संकल्प द्वारा अधिकृत किया गया है........ इस तरह की स्थितियों के लिए एक पंजीकृत मूल्यांकक विषय के मूल्यांकन रिपोर्ट से निर्धारित होता है के रूप में निर्धारित ....

© The Institute of Chartered Accountants of India

		वाली किसी भी अन्य शर्तों को प्रतिस्थापित किया जाएगा; प्रवर्तन दिनांक : 9 फरवरी 2018		
		8. खंड 62 में प्रिंसिपल अधिनियम, – (ii) उपधारा (2) के लिए, निम्नलिखित उपधारा को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :– "(2)" उपधारा (1) के खंड (ए) के उप–खंड (i) में उल्लिखित नोटिस पंजीकृत पोस्ट या स्पीड पोस्ट के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक मोड या कूरियर या डिलीवरी के प्रमाण वाले किसी भी अन्य मोड के माध्यम से भेजा जाएगा इस मुद्दे के से कम से कम तीन दिन पहले सभी मौजूदा शेयरधारकों को।" प्रवर्तन दिनांक : 9 फरवरी 2018 A	4.22	शेयरों के प्रस्ताव की सूचना पंजीकृत पोस्ट या स्पीड पोस्ट के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से सभी मौजूदा शेयरधारकों को कम से कम तीन दिन पहले इस मुद्दे को खोलने से पहले भेजी जाएगी।
		9. प्रिंसिपल अधिनियम की धारा 76A में, – (ए) खंड (ए) में, "एक करोड़ रूप्ये" शब्दों के	(ए) 5.14	के लिए (ए) कंपनी .... एक करोड़ रूपये से कम नहीं हो सकती है,

© The Institute of Chartered Accountants of India

		लिए, "कंपनी द्वारा स्वीकार किए गए जमा राशि की एक करोड़ रूपए या दो गुना राशि, जो भी कम हो," को प्रतिस्थापित किया जाएगा, i:orZu fnukd % 9 Qjojh 2018		लेकिन जो दस करोड़ रूपये तक बढ़ सकती है; तथा
		9. प्रिंसिपल अधिनियम की धारा 76A में , – (बी) खंड (बी) में, – (i) "सात साल या ठीक से" शब्दों के लिए, "सात साल और जुर्माना" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे; (ii) शब्द "या दोनों के साथ" छोड़े जाएंगे प्रवर्तन दिनांक : 9 फरवरी 2018	5.15	के लिए हर अधिकारी .... कारावास जो lkr lky तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माना जो पच्चीस लाख रूपये से कम नहीं हो सकता है, लेकिन जो nk djkM+ :i, तक बढ़ा सकता है, या दोनों के साथ/
		10 प्रिंसिपल अधिनियम की /kkjk 100 e] उप–धारा (1) में, निम्नलिखित परंतुक डाला जाएगा, अर्थात् :– बशर्ते कि "कम्पनी की एक असाधारण आम बैठक, निगमित	7.52	प्रतिबन्ध नया डाला गया है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

		कम्पनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक के अलावा अन्य कम्पनी जो समामेलित हुई है भारत के बाहर, भारत के भीतर एक जगह पर रखी जाएगी। ioru fnukd % 9 Qjojh 2018		
		11. प्रिंसिपल अधिनियम की /kkjk 101 में, उपधारा (1) में, परंतुक के लिए, निम्नलिखित परंतुक, प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात् :– "बशर्ते कि उप–धारा में उल्लिखित की तुलना में कम नोटिस देने के बाद एक सामान्य बैठक बुलाई जा सकती है यदि सहमति, लिखित में या इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा हो। उसे – (i) वार्षिक आम बैठक के मामले में, पचास प्रतिशत से कम नहीं। वोट देने के हकदार सदस्यों में से; तथा (ii) किसी भी अन्य आम बैठक के मामले में, कम्पनी के सदस्यों द्वारा – (ए) होल्डिंग, अगर	7.19	/kkjk 101 ¼1½ d iko/kku e ;g Hkh dgk x;k g fd okV d gdnkj lnL;k d 95 ifr'kr dh lgefr l ,d NkVh lpuk Hkh nh tk ldrh gA vke rkj ij 21 Li"V fnuk dh lpuk ndj cBdk dk cyk;k tkuk pkfg,A gkykfd] mUg NkVh

© The Institute of Chartered Accountants of India

		कम्पनी की शेयर पूंजी है, तो मतदान के हकदार सदस्यों की संख्या में बहुमत और जो पचास प्रतिशत से कम नहीं दर्शाते हैं। कम्पनी की पेड–अप शेयर पूंजी के इस हिस्से के रूप में बैठक में मतदान का अधिकार देना है; या (बी) होने पर, अगर कम्पनी की कोई शेयर पूंजी नहीं है, नब्बे प्रतिशत से कम नहीं। उस बैठक में कुल वोटिंग शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है: बशर्ते कि जहां किसी कम्पनी का कोई भी सदस्य केवल कुछ प्रस्तावों या प्रस्तावों पर मतदान करने के हकदार है, तो किसी बैठक में स्थानांतरित किया जाए, न कि अन्य लोगों पर, उन सदस्यों को इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए ध्यान में रखा जाएगा पूर्व संकल्प य संकल्प और उत्तरार्द्ध के संबंध में नहीं।" प्रवर्तन दिनांक :		

© The Institute of Chartered Accountants of India

		9 फरवरी 2018		
		12. प्रिंसिपल अधिनियम की धारा 110 में, उपधारा (1) में, निम्नलिखित परंतुक, डाला किया जाएगा अर्थात् :– "बशर्ते कि क्लॉज (ए) के तहत डाक मतपत्र के माध्यम से व्यवसाय की किसी भी वस्तु को पारगमन करने की आवश्यकता हो, को कम्पनी द्वारा सामान्य बैठक में पारित किया जा सकता है, जिसे धारा 108 के तहत इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा वोट देने के लिए सदस्यों को सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता होती है, उस खड में उपलब्ध तरीके से।" iorlu fnukd % 9 Qjojh 2018	7.34	प्रतिबन्ध नया डाला गया है।
		13. धारा 123 में प्रिंसिपल अधिनियम, – (ए) उपधारा (1) में – (i) खंड (ए) में – (ए) "दोनों; या "शब्दों के लिए, शब्द "दोनों:" प्रतिस्थापित किया	8.4	(i) बिंदु के लिए (ए) (सी) दोनों में से (क) और (ख); या बिंदु के लिए (बी) :– प्रतिबन्ध नया डाला गया है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

		जाएगा; (बी) निम्नलिखित प्रावधान डाला जाएगा, अर्थात् :– "मुनाफे की गणना करने में किसी भी राशि को अवास्तविक लाभ, धारणात्मक लाभ या परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन का प्रतिनिधित्व करने और संपत्ति की माप या उचित मूल्य पर उत्तरदायित्व पर देयता की देयता में कोई परिवर्तन या निष्पक्ष मूल्य पर देयता को बाहर रखा जाएगा, या "; प्रवर्तन दिनांक : 9 फरवरी 2018		
		13. धारा 123 में प्रिंसिपल अधिनियम, – (ii) दूसरे प्रावधान में, "कम्पनी द्वारा रिजर्व में स्थानांतरित" शब्दों के लिए, "मुक्त संचय में कम्पनी द्वारा स्थानांतरित" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ; प्रवर्तन दिनांक : 9 फरवरी 2018	8.4	(ii) के लिए जहा¡ एक कम्पनी .... । यह पिछले वर्षों में और निर्धारित नियमों के साथ संचय लाभांश की ऐसी घोषणा करने के लिए कम्पनी द्वारा स्थानांतरित .... । (धारा 123 (1) के लिए दूसरा प्रावधान।

© The Institute of Chartered Accountants of India

		13- /kkjk 123 e fiifliy vf/kfu;e & (बी) उपधारा (3) के लिए, निम्नलिखित उपधारा को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— "(3) किसी कम्पनी के निदेशक मंडल किसी भी वित्तीय वर्ष के दौरान अंतरिम लाभांश घोषित कर सकते हैं या किसी भी समय वित्तीय बंद होने की अवधि के दौरान लाभ और हानि खाते या बाहर में अधिशेष से वार्षिक आम बैठक आयोजित करने तक वित्तीय वर्ष के मुनाफे के लिए अंतरिम लाभांश की घोषणा की तारीख से पहले की तिमाही तक वित्तीय वर्ष में उत्पन्न लाभों की घोषणा या उससे बाहर होने की मांग की जा रही है : बशर्ते कि कम्पनी ने अंतरिम लाभांश की घोषणा की तारीख से पहले तिमाही के अंत तक चालू वित्त वर्ष के दौरान हानि की है, ऐसे अंतरिम लाभांश को	8.6	धारा 123 (3) के अनुसार, किसी कम्पनी के निदेशक मंडल लाभ और हानि खाते में अधिशेष से बाहर वित्तीय वर्ष के मुनाफे से बाहर किसी भी वित्तीय वर्ष के दौरान अंतरिम लाभांश घोषित कर सकते हैं जिसमें अंतरिम लाभांश होने की मांग की जाती है की घोषणा की। हालांकि, यदि कम्पनी ने अंतरिम लाभांश की घोषणा की तारीख से पहले तिमाही के अंत तक चालू वित्त वर्ष के दौरान हानि की है, तो इस अंतरिम लाभांश को कम्पनी द्वारा घोषित औसत लाभांश की तुलना में अधिक दर पर घोषित नहीं किया जाएगा जो, तुरंत तीन वित्तीय वर्षों से पहले होगा।

© The Institute of Chartered Accountants of India

		कंपनी द्वारा घोषित औसत लाभांश से अधिक की दर से घोषित नहीं किया जो जाएगा तुरंत तीन वित्तीय वर्षों से पहले होगा"। i:or:u fnukd % 9 Qjojh 2018		
		14. [kM 130 में प्रिंसिपल अधिनियम, — (i) उपधारा (1) में, proviso में, — (ए) "नियामक निकाय या संबंधित अधिकारियों" शब्दों के बाद, "संबंधित किसी भी अन्य व्यक्ति" शब्द डाले जाएंगे; (बी) "शरीर या प्राधिकारी संबंधित" शब्दों के बाद, शब्द "या संबंधित अन्य व्यक्ति" डाला जाएगा; i:or:u fnukd % 9 Qjojh 2018	9.13	(i) के लिए (शब्द नए डाले गए हैं)
		14 । में खंड 130 प्रिंसिपल अधिनियम, — (ii) उपधारा (2) के बाद, निम्नलिखित उपधारा डाला जाएगा,	9.13	(ii) के लिए (यह सब — सेक्शन नया डाला गया है)

© The Institute of Chartered Accountants of India

		अर्थात् :– "(3) मौजूदा वित्तीय वर्ष से पहले आठ वित्तीय वर्षों से पहले की अवधि से संबंधित खाते की किताबों को फिर से खोलने के संबंध में उपधारा (1) के तहत कोई आदेश नहीं दिया जाएगाः बशर्ते कि एक दिशा जारी की गई हो। आठ साल से अधिक अवधि के लिए खाते की किताबों को रखने के लिए धारा 128 के उपधारा (5) के प्रावधान के तहत केंद्र सरकार द्वारा, इस तरह की लंबी अवधि के भीतर खाते की किताबों को फिर से खोला जाने का आदेश दिया जा सकता है।" iorlu fnukd % 9 Qjojh] 2018		
		15. में अनुभाग 136 प्रिंसिपल अधिनियम, – (i) उपधारा (1) में, – (ए) शब्द और आंकड़े "धारा 101 के प्रावधानों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना," छोड़ा जाएगा; iorlu fnukd %	9.30	संशोधन के अनुसार धारा 101 के प्रावधानों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना शब्द, "छोड़ा जाएगा

© The Institute of Chartered Accountants of India

		9 Qjojh] 2018A		
		15- e vuHkkx 136 fiifl iy vf/kfu;e] & (i) mi/kkjk ¼1½ e] & ¼c½ igy iko/kku e] Þinku fd, x,ß 'kCnk d fy,] fuEufyf[kr ifrLFkkfir fd;k tk,xk] vFkkr~& Þc'kr fd ;fn nLrkost dh ifr;k cBd dh rkjh[k l chl fnu igy Hkth tkrh g] rk o ml rF; d ckotn] fof/kor Hkt tku d fy, le>k tk,xk] ;fn ;g lnL;k }kjk bruh lger g & ¼,½ gkfYMx] vxj dEiuh dh 'k;j iath g] rk ernku d gdnkj l[;k e cger vkj tk ipkl ifr'kr l de ugh n'kkr gA dEiuh dh iM & vi 'k;j iath d bl fgLl d :i e cBd e ernku dk	9.31	प्रतिबन्ध नया डाला गया है)

© The Institute of Chartered Accountants of India

		vf/kdkj n:rk g:(;k ¼ch½ gku: ij] vxj dEiuh dh dkb: 'k;j ijth ugh g] rk uCc ifr'kr l: de ughA cBd e: vH;kl dju: okyh dy ernku 'kfä dk% vkx: inku fd;k x;kß(i:or:u fnukd % 9 Qjojh] 2018		
		15. में अनुभाग 136 प्रिंसिपल अधिनियम, – (i) उपधारा (1) में – (सी) दूसरे प्रावधान में, "आगे प्रदान किए गए" शब्दों के लिए, शब्द "प्रदान किए गए" को प्रतिस्थापित किया जाएगा; प्रवर्तन दिनांक : 9 फरवरी, 2018	9.31	बिंदु से संबंधित (ii) पृष्ठ 9.31 पर
		15. में अनुभाग 136 प्रिंसिपल अधिनियम – (i) उपधारा (1) में, – (डी) चौथे प्रावधान के	9.31	(iii) सहायक कम्पनियां : सहायक कम्पनी या सहायक कम्पनियों वाली प्रत्येक कम्पनी, –

		लिए, निम्नलिखित प्रावधानों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— "बशर्ते कि सहायक या सहायक होने वाली प्रत्येक सूचीबद्ध कम्पनी अपनी वेबसाइट पर प्रत्येक सहायक कम्पनी के संबंध में अलग—अलग लेखापरीक्षित लेखा रखे, यदि कोई हो तो : बशर्ते कि एक सूचीबद्ध कम्पनी जिसमें भारत के बाहर एक सहायक शामिल है (यहा¡ लाल "को" सहायक "के रूप में संदर्भित किया गया है)— (ए) जहा¡ ऐसी विदेशी सहायक कम्पनी को अपने निगमन के देश के किसी भी कानून के तहत समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक है, तो इस प्रावधान की आवश्यकता को पूरा किया जाएगा यदि सूचीबद्ध कम्पनी की वेबसाइट पर ऐसी विदेशी सहायक कम्पनी का समेकित वित्तीय		(1) अपनी वेबसाइट पर अपनी प्रत्येक सहायक कम्पनी के संबंध में अलग—अलग लेखापरीक्षा दर्ज करें, यदि कोई हो; (2) कम्पनी की किसी भी शेयरधारक को इसके लिए पूछे जाने वाले किसी भी सहायक कम्पनी के संबंध में अलग—अलग लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों की एक प्रति प्रदान करें।

© The Institute of Chartered Accountants of India

		विवरण रखा गया है; (बी) जहा¡ ऐसी विदेशी सहायक कम्पनी को अपने वित्तीय विवरण को उसके निगमन के देश के किसी भी कानून के तहत लेखापरीक्षित करने की आवश्यकता नहीं है और जिसे वित्तीय विवरण प्राप्त नहीं किया जाता है, भारतीय सूचीबद्ध कंपनी होल्डिंग अपनी वेबसाइट पर इस तरह के गैर अंकेक्षित वित्तीय विवरण रख सकती है और जहा¡ इस तरह का वित्तीय विवरण अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में है, अंग्रेजी में वित्तीय विवरण की एक अनुवादित प्रति भी वेबसाइट पर रखी जाएगी। प्रवर्तन दिनांक : 9 फरवरी, 2018		
		15. प्रिंसिपल अधिनियम 136 की धारा में :– (ii) उपधारा (2) में, निम्नलिखित प्रतिबन्ध डाला जाएगा, अर्थात् :– "बशर्ते कि सहायक	9.32	(Proviso नया डाला गया है) (iv) बिंदु में प्रतिबन्ध जोड़ें

© The Institute of Chartered Accountants of India

		कम्पनी या सहायक कम्पनियों वाली प्रत्येक कम्पनी अलग–अलग लेखापरीक्षित या अवांछित वित्तीय वक्तव्यों की एक प्रति प्रदान करेगी, जैसा भी मामला हो, कम्पनी के किसी भी सदस्य को इसकी सहायक कम्पनी के संबंध में तैयार किया गया है।” प्रवर्तन दिनांक : 9 फरवरी, 2018		
		16. में अनुभाग 140 प्रिंसिपल अधिनियम, उप–धारा में (3), शब्द ”पचास हजार रूपए” शब्दों के लिए ”पचास हजार रूपए या लेखा परीक्षक, जो भी कम हो के पारिश्रमिक,” प्रतिस्थापित किया जाएगा। i:or:u fnuk:d % 9 Qjojh] 2018	10.15	(घ) अगर लेखा परीक्षक .... नहीं करता है। ठीक है जो 50,000 से कम नहीं होगा लेकिन जो 5 लाख तक बढ़ा सकता है। A
		17. में अनुभाग 141 प्रिंसिपल अधिनियम, उप–धारा में (3), खंड (i) के लिए, निम्नलिखित श्रेणी ई, प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात् :	10.22	(9) कोई भी व्यक्ति जिसका सहायक या सहयोगी कम्पनी या इकाई का कोई अन्य रूप, धारा 144 में प्रदान की गई परामर्श और विशेष सेवाओं में

© The Institute of Chartered Accountants of India

		(i) एक व्यक्ति जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, कम्पनी 144 या कम्पनी की होल्डिंग कम्पनी या इसकी सहायक कम्पनी को धारा 144 में निर्दिष्ट किसी भी सेवा को प्रस्तुत करता है। स्पष्टीकरण 1 – इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से" शब्द का अर्थ धारा 144 के स्पष्टीकरण में दिया गया है। प्रवर्तन दिनांक : 9 फरवरी, 2018		नियुक्ति की तारीख के रूप में कार्यरत है
		18. प्रिंसिपल अधिनियम की धारा 143 में :– (i) उपधारा (1) में, प्रावधान में, दोनों जगहों पर "इसकी सहायक" शब्दों के लिए, "इसकी सहायक कम्पनियों और सहयोगी कम्पनियों" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा; प्रवर्तन दिनांक : 9 फरवरी, 2018	10.23	(सी) अपनी सभी सहायक कम्पनियों के रिकॉर्ड तक पहुंच : ... . का लेखा परीक्षक। इसकी सभी सहायक कम्पनियों के रिकॉर्ड इतने तक में हैं जहा¡ वह अपनी सहायक कम्पनियों के साथ अपने वित्तीय विवरणों के एकीकरण से संबंधित है।
		18. अधिनियम, 143 की धारा में (ii) उपधारा	10.24	(9) क्या कम्पनी के पास पर्याप्त आंतरिक

© The Institute of Chartered Accountants of India

		(3) में, खंड (i) में, "आंतरिक वित्तीय नियत्रंण प्रणाली" शब्दों के लिए, शब्द "वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण" को प्रतिस्थापित किया जाएगा; i:or:u fnukd % 9 Qjojh] 2018		वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और इस तरह के नियंत्रण की ऑपरेटिंग प्रभावशीलता है;
		18. प्रिंसिपल अधिनियम, 143 के अनुभाग में (iii) उपधारा (14) में, खंड (ए) में, "अभ्यास में लागत एकाउंटेंट" शब्दों के लिए, "लागत एकाउंटेंट" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे प्रवर्तन दिनांक : 9 फरवरी, 2018 A	10.36	खंड 143 के प्रावधानों यथोचित लागत लेखाकार पर लागू होंगे जैसे लागत लेखा अंकेक्षण संचालित कर रहा है। धारा 148 के तहत
		19. प्रिंसिपल अधिनियम, 147 के अनुभाग में :– (i) उपधारा (2) में, –(ए) "पांच लाख रूपए" शब्दों के बाद, शब्द "या चार बार लेखा परीक्षक का पारिश्रमिक, जो भी कम है" डाला जाएगा; प्रवर्तन दिनांक : 9 फरवरी, 2018	10.33	शब्दों को iii बिंदु में डाला जाएगा।

© The Institute of Chartered Accountants of India

		c		
		19. प्रिंसिपल अधिनियम, 147 के अनुभाग में :– (i) उपधारा (2) में, – (बी) प्रावधानों में, शब्दों के लिए "और जुर्माना जो एक लाख रूपये से कम नहीं होगा, लेकिन जो पच्चीस लाख रूपए तक हो सकता है", शब्द "और जुर्माना जो पचास हजार रूपये से कम नहीं होगा लेकिन जो ऑडिटर के पारिश्रमिक के पच्चीस लाख रूपये या आठ गुना तक बढ़ा सकता है, जो भी कम हो, "प्रतिस्थापित किया जाएगा; i.or.u fnukd % 9 Qjojh] 2018	10.33	और (2) वर्ड जो 1 लाख रूपये से कम नहीं होगी लेकिन जो 25 लाख रूपये तक बढ़ा सकता है।
		19. प्रिंसिपल अधिनियम, 147 के अनुभाग में :– (ii) उपधारा (3) में, खंड (ii) में, "या किसी अन्य व्यक्ति" शब्दों के लिए, शब्द "या सदस्यों या सदस्यों के लेनदारों" के लिए प्रतिस्थापित किया	10.33	(2) कम्पनी, सांविधिक निकायों या अधिकारियों या किसी भी अन्य व्यक्ति को नुकसान से होने वाली हानि के लिए भुगतान के लिए भुगतान .....। परीक्षण विवरण।

© The Institute of Chartered Accountants of India

		जाएगा; प्रवर्तन दिनांक : 9 फरवरी, 2018		
		19. में अनुभाग प्रिंसिपल अधिनियम की धारा 147 में :— (iii) उपधारा (5) में, निम्नलिखित प्रतिबन्ध डाला जाएगा, अर्थात् :— "बशर्ते कि ऑडिट फर्म की आपराधिक दायित्व के मामले में, जुर्माना के अलावा उत्तरदायित्व के संबंध में, संबंधित साथी या सहयोगी, जो धोखेबाज तरीके से काम करते हैं या उत्पीड़ित होते हैं या, जैसा कि मामला हो, किसी भी धोखाधड़ी में उलझन में ही होगा उत्तरदायी।" प्रवर्तन दिनांक : 9 फरवरी, 2018	10.33	(प्रतिबन्ध नया डाला गया है)
		20. प्रिंसिपल अधिनियम, की धारा 148 में :— (i) उपधारा (3) में, — (ए) "अभ्यास में लागत लेखाकार" शब्दों के लिए, "लागत एकाउंटेंट" शब्द	10.34	(iv) लागत लेखा परीक्षा एक द्वारा आयोजित किया जाएगा अभ्यासरत लागत लेखाकार जो — होगा .... ऐसे में सदस्यों द्वारा के रूप में निर्धारित किया

© The Institute of Chartered Accountants of India

		प्रतिस्थापित किए जाएंगे; प्रवर्तन दिनांक : 9 फरवरी, 2018		जा सकता जैसा बताया गया है।
		20. अधिनियम , की धारा 148 में – (i) उपधारा (3) में, – (बी) स्पष्टीकरण में, "लागत और कार्य लेखाकार संस्थान" शब्द के लिए, "भारत के लागत लेखाकार संस्थान" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे; प्रवर्तन दिनांक : 9 फरवरी, 2018	10.35	यहां, "लागत अंकेक्षण मानकों" की अभिव्यक्ति का अर्थ केंद्र सरकार की मंजूरी के साथ लागत और कार्य लेखाकार अधिनियम, 1959 के तहत गठित भारत के लागत और कार्य लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए मानकों का है।
		20. प्रिंसिपल अधिनियम, 148 के अनुभाग में, (ii) उपधारा (5) में, प्रावधान में, "अभ्यास में लागत एकाउंटेंट" शब्दों के लिए, "लागत एकाउंटेंट" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे प्रवर्तन दिनांक : 9 फरवरी, 2018 A	10.35	(x) लागत रिकॉर्ड के लेखापरीक्षा की रिपोर्ट कम्पनी के निदेशक मंडल (बीओडी) को अभ्यास में लागत एकाउंटेंट द्वारा प्रस्तुत की जाएगी।
11.	अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) में संशोधन 5 जून, 2015 दिनांक	कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 462 के उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (ए) और (बी) द्वारा	9.7	फुटनोट बदलें रक्षा उत्पादन में लगे कम्पनियों को लेखा मानक 17 (सेगमेंट रिपोर्टिंग) के आवेदन

© The Institute of Chartered Accountants of India

	अधिसूचना सं। अतः 802 (ई) दिनांक 23 फरवरी, 2018	प्रदान की गई शक्तियों के प्रयोग में, केंद्र सरकार, सार्वजनिक सूचनाओं के अधिसूचना में कॉरपोरेट अफेयर्स नंबर जीएसआर 463 (ई) के मंत्रालय में भारत सरकार 5 जून, 2015 दिनांकित :– कहा गया अधिसूचना में, तालिका में, सीरियल नंबर 8 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित धारावाहिक संख्या और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित रूप से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :– "अध्याय IX में, धारा 129 सेगमेंट रिपोर्टिंग पर प्रासंगिक लेखा मानक के आवेदन की सीमा तक रक्षा उत्पादन में लगे कम्पनियों पर लागू नहीं होगा"।		की सीमा तक सरकारी कम्पनियों पर धारा 129 लागू नहीं होगा।
12.	उप–धारा (3) और कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा देखे 132 (11) का प्रवर्तन अधिसूचना सं एस.ओ. 1316 (ई) दिनांक 21	केंद्र सरकार 21 मार्च 2018 को कहे अधिनियम की धारा (3) व (11) ; जो कि धारा 132 को लागू वर्गों (3) को लागू करती है। "132 (3) : राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग आर्थॉरिटी में एक	9.14	(कहा¡ उपखंडों को अधिसूचित किया गया है)

© The Institute of Chartered Accountants of India

	मार्च, 2018	अध्यक्ष शामिल होगा, जो प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा और केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षा, लेखा परीक्षा, वित्त या कानून में विशेषज्ञता होगी और ऐसे अन्य सदस्य जो पंद्रह से अधिक नहीं होंगे अंशकालिक और पूर्णकालिक सदस्यों के रूप में निर्धारित किया जा सकता है: बशर्ते कि अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के नियम और शर्तें और निर्धारित की जा सकें: बशर्ते कि अध्यक्ष और सदस्य अपनी सरकार की नियुक्ति के संबंध में ब्याज के संघर्ष या स्वतंत्रता की कमी के संबंध में निर्धारित फॉर्म में केंद्र सरकार को घोषणा करेंगे: बशर्ते कि अध्यक्ष और सदस्य, जो राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग अथॉरिटी के साथ पूर्णकालिक रोजगार में हैं, उनकी नियुक्ति के दौरान किसी भी लेखा परीक्षा फर्म्र (संबंधित परामर्श फर्म सहित) से संबद्ध नहीं होंगे और		

© The Institute of Chartered Accountants of India

		ऐसी नियुक्ति को रोकने के दो साल बाद तक लागू है। 132 ¼11½ : केंद्र सरकार एक सचिव और इस तरह के अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकता के रूप में यह कुशल इस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण द्वारा कार्यों के निष्पादन के लिए आवश्यक विचार कर सकते हैं और नियमों और सचिव की सेवा की शर्तों और कर्मचारियों होगा जैसे कि निर्धारित किया जा सकता है।"		
13.	'कम्पनी के नाम का आरक्षण' अधिसूचना जीएसआर 284 (ई) दिनांक 23 मार्च, 2018	fu;e 9 % uke dk vkj{k.k नाम (आरक्षण कार्यालयों और शुल्क) नियम, 2014 में प्रदान किए गए शुल्क के साथ (फॉर्म रन) (रिजर्व अद्वितीय नाम) का उपयोग कर www.mca.gov.in पर उपलब्ध वेब सेवा के माध्यम से नाम के आरक्षण के लिए आवेदन किया जाएगा। जो कि किसी भी	2.11	(इस नियम को बिंदु IV के संबंध में पढ़ा जा सकता है कंपनी के नाम के आरक्षण के लिए आवश्यकता)

© The Institute of Chartered Accountants of India

		मामले में दोषों के सुधार के लिए पंद्रह दिनों के भीतर इस तरह के आवेदन को दोबारा जमा करने की अनुमति देने के बाद रजिस्ट्रार, केंद्रीय पंजीकरण केंद्र द्वारा, जैसा मामला हो, स्वीकृत या खारिज कर दिया जा सकता है।		

iklfxd iko/kkuk d lnHk e v/;;u lkexh ¼ubl v/;;u lkexh½ dh i"B l[;k

Hkkx & II ¼ i'u vkj mÙkj

i'ku

diuh yk

diuh vf/kfu;e] 2013

1. प्रखर लिमिटेड एक निश्चित अवधि के दौरान विभिन्न चरणों में इक्विटी शेयर जारी करके शेयर पूंजी जुटाने का इरादा रखता है। हालांकि, कम्पनी शेयर जारी करने के हर बार प्रॉस्पेक्टस जारी नहीं करना चाहती है। कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, चर्चा कीजिए कि प्रकृति लिमटेड को प्रोपेक्टस को बार– बार जारी करने के बचने के लिए क्या औपचारिकताओं का पालन करना चाहिए?

2. अर्थ लिमिटेड, एक सार्वजनिक कम्पनी के मौजूदा शेयरधारकों के अलावा अन्य लोगों को नए शेयर (शेयरों का और मुद्दा) प्रदान करती है। मौजूदा शेयरधारकों के अलावा अन्य व्यक्तियों को शेयर जारी किए जाने पर शर्तों की व्याख्या करें। चर्चा करे की क्या इन शेयरों को अधिमान शेयरधारकों के लिए पेशकश किये जा सकते हैं?

3. कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रासंगिक प्रावधानों के सदर्भ में निम्नलिखित की वैधता की जांच करें :

(i) श्रेय लिमिटेड के निदेशक मंडल के सदस्यों की मांग पर असाधारण सामान्य सभा बुलाई। हालांकि, सभा इस आधार पर स्थगित कर दी गई थी कि बैठक में कोरम मौजूद नहीं था। कम्पनी को सलाह दें।

© The Institute of Chartered Accountants of India

(ii) मैरी लिमिटेड एक सूचीबद्ध कम्पनी का कारोबार होने की है; वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान 1200 करोड़ था। बोर्ड की सीएसआर समिति ने एक सीएसआर परियोजना तैयार की और सिफारिश की जिसे बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया था। सी ओंपनी ने अपनी सीएसआर पहलों के तहत परियोजना को अंतिम रूप दिया, जिसके लिए पिछले तीन वित्तीय वर्षों से कम्पनी के औसत शुद्ध लाभ का 5% धनराशि की आवश्यकता है। क्या सीएसआर व्यय के एक हिस्से के रूप में इस तरह के अतिरिक्त खर्च को अगले वित्तीय वर्षों में गिना जाएगा? कम्पनी को सलाह दें।

4. कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के संदर्भ में निदेशक मंडल के निम्नलिखित निर्णयों की वैधता की जांच करें।

(i) वृंदा लिमिटेड की वार्षिम आम बैठक में शेयर पूंजी रखने वाले, 80 सदस्य व्यक्तिगत रूप से या प्रॉक्सी द्वारा उपस्थित होते हैं, कुल मतदान शक्ति के 1/10 से अधिक होने पर, मतदान की मांग की जाती है। बैठक के अध्यक्ष ने इस आधार पर अनुरोध को खारिज कर दिया कि केवल सदस्य ही उपस्थित होने की मांग कर सकते हैं।

(ii) वार्षिक आम बैठक में, चुनाव की प्रक्रिया के दौरान, जिन सदस्यों ने पहले चुनाव की मांग की थी, उन्हें वापस लेना चाहते हैं। बैठक के अध्यक्ष ने इस आधार पर अनुरोध को खारिज कर दिया कि एक बार मतदान शुरू हो जाने पर इसे वापस नहीं लिया जा सकता है।

5. ग्रोमोर लिमिटेड की शेयर पूंजी को विभिन्न वर्गों में बांटा गया है। अब, ग्रोमोर लिमिटेड एक विशेष वर्ग के शेयरों से जुड़े अधिकारों को अलग करना चाहत है। अधिकारों के बदलाव के संबंध में शेयरधारकों से सहमति प्राप्त करने के लिए ग्रामोर लिमिटेड कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों की व्याख्या करें।

6. हेवी मेटल्स लिमिटेड अपने कर्मचारियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना चाहता है, ताक वे पूरी तरह से भुगतान किए गए शेयरों की निश्चित संख्या के लिए आवेदन कर सकें। कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान को ध्यान में रखते हुए, आप इस संबंध में कम्पनी को क्या सलाह देंगे?

7. नींबू और कम्पनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स सीए के साथ एक सीमित देयता भागीदारी फर्म (L.L.P.) एल, सीए एम और सीए भागीदारों के रूप में एन, 01.04.2014 को पिछले 6 वर्षों से सूचीबद्ध कम्पनी मैसर्स बिग लिमिटेड का वैधानिक लेखा परीक्षक है।

सीएएम एम चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म डयू एंड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स में भी भागीदार है। कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत सलाह दें :

(1) मैसर्स बिग लिमिटेड के वैधानिक लेखा परीक्षकों के रूप में नींबू और कम्पनी कितने सालों तक जारी रह सकती है?

© The Institute of Chartered Accountants of India

(2) मैसर्स बिग लिमिटेड के संबंध में नींबू और कम्पनी के लिए शीतलन (कूलींग) अवधि क्या होगी?

(3) क्या इस तरह की शीतलन कूलिंग अवधि के दौरान मैसर्स बिग लिमिटेड के सांविधिक लेखा परीक्षकों के रूप में दीव और कम्पनी नियुक्त की जा सकती है?

4 क्या नींबू और कम्पनी को मैसर्स बिग लिमिटेड के आंतरिक लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त किया जा सकता है और यह शीतलन अवधि के दौरान, एक और सूचीबद्ध सहायक एम/ एस डार्क लिमिटेड है?

8. सीए की पत्नी श्रीमती सीता अर्जुन जो की तारकीय बिल्डर्स लिमिटेड, के वैधानिक अंकेक्षक है ने रूपये 75000 अंकित मूल्य के लिए कम्पनी के शेयरों का 15 मार्च 2018 अधिग्रहण किया। सीए अर्जुन ने 25 अप्रैल 2019 को पर अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट जारी की। कंपनी अधिनियम 2013 के तहत इस सौदे की वैधता की जांच, करे। आपका जवाब अलग होगा अगर शेयरों के 150,000 अंकित मूल्य किया गया है। – (बाजार मूल्य 95000/–)?

9. निदेशक मंडल की सिंधु लिमिटेड कुछ बदलाव करने और संस्था के अंतर्नियम जो तत्काल बाहर ले जाया गया हैं में से कुछ क्लाज जिनमें शामिल है कंपनी की अधिकृत पूंजी में वृद्धि, शेयरों का मुद्दा है, उधार की सीमा में वृद्धि हुई है बदलने के लिए चाहता है, निदेशकों की संख्या में वृद्धि चाहता है।

एसोसिएशन ऑफ आर्टिकल्स के बदलाव के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के बारे में चर्चा करें।

10. एलिमेंट लिमिटेड के निदेशक स्वैच्छिक रूप से कम्पनी के वित्तीय विवरणों को संशोधित करना चाहते हैं। उन्होंने वित्तीय विवरणों के स्वैच्छिक संशोधन के संबंध में उन्हें कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के बारे में बताने के लिए आपसे संपर्क किया है।

अन्य कानून

भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872

11. भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 के प्रावधानों को समझाते हुए, निम्नलिखित का उत्तर दें :

(i) निर्धारित समय के लिए बी के साथ एक अनुबंध निर्धारित समय के भीतर बी के लिए एक घर बनाने के लिए। बी निर्माण में इस्तेमाल होने वाली आवश्यक सामग्री की आपूर्ति करेगा। सी अनुबंध के प्रदर्शन की गारंटी देता है। बी समझौते के अनुसार सामग्री की आपूर्ति नहीं करता है। क्या सी से उसकी देयता निकलती है?

© The Institute of Chartered Accountants of India

(ii) सीए द्वारा तैयार किए गए एक्सचेंज के एक अधिक देय बिल के धारक बी के लिए जमानत के रूप में, और बी द्वारा स्वीकार किए जाते हैं, बी के साथ समय देने के लिए एक्स के साथ अनुबंध। क्या उसकी देयता से छुट्टी मिलती है?

12. श्री अविनाश एबीसी बैंक से अपने कारोबार का विस्तार करने के लिए एक ऋण चाहते थे। श्री अविनाश ने बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिए अपने व्यापार का स्टॉक गारंटी दिया है। हालांकि, व्यापार के विस्तार ने वांछित परिणाम नहीं उठाए और श्री अविनाश ऋण चुकाने में सक्षम नहीं थे। अब, एबीसी बैंक चाहे वे अपने ऋण के समायोजन और ब्याज के भुगतान के लिए भी स्टॉक बनाए रख सकें। अनुबंध अधिनियम, 1872 के प्रावधानों के अनुसार अपना उत्तर दें।

13- ijkØE; foys[k vf/kfu;e] 1881

गैर – भुगतान द्वारा एक्सचेंज का एक बिल अपमानित किया गया है। अब, श्री संदीप, धारक इस तरह के अपमानित बिल के लिए विरोध का प्रमाण पत्र चाहता है। सलाह दें, श्री सैंडीपी क्या वह विरोध का प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा, बेहतर सुरक्षा के लिए विरोध के प्रावधानों के बारे में उसे सलाह दें।

tujy Dykl ,DV] 1897

14. श्री राम, एक वकील ने धोखाधड़ी से अपने ग्राहक श्री श्याम को धोखा दिया है, जो कराधान मामलों पर अपनी विशेषज्ञ सलाह ले रहे थे। अब, श्री राम धोखे बाजी करने के लिए से दोनों अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के साथ ही आयकर अधिनियम के तहत, 1961 के तहत दण्डनीय है। कि क्या उसके अपराध दोनों अधिनियमों के तहत दंडनीय है, जैसा जनरल क्लॉज एक्ट, 1897 के प्रावधान कहते हैं।

lafo/kku] dk;l vkj nLrkost dh O;k[;k

15. कानून एक पूरे के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। स्पष्टीकरण एवं कथन

l>k, x, mRrj @ ladr

1. शेल्फ प्रॉस्पेक्टस का अर्थ एक प्रॉस्पेक्टस है जिसके संबंध में इसमें शामिल प्रतिभूतियों या प्रतिभूतियों की श्रेणी एक निश्चित अवधि में एक या अधिक मुद्दों में सदस्यता के लिए जारी की जाती है, बिना किसी प्रॉस्पेक्टस के मुद्दे के।

(1) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 31 के अनुसार, किसी भी वर्ग या वर्गों की कम्पनियों को जैसा सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड इस तरफ से नियमों द्वारा प्रदान कर सकता है, रजिस्ट्रार के पास सेल्फ प्रविवरण निम्न स्टेज पर फाइल करना होगा :–

(ए) उसमें शामिल प्रतिभूतियों के पहले प्रस्ताव की जो कि इस तरह के प्रॉस्पेक्टस की वैधता की अवधि के रूप में एक वर्ष से अधिक का संकेत नहीं देगी, जो उस प्रॉस्पेक्टस के तहत प्रतिभूतियों के पहले प्रस्ताव को खोलने की तारीख से शुरू होगी, और

© The Institute of Chartered Accountants of India

(बी) उस प्रॉस्पेक्टस की वैधता की अवधि के दौरान जारी की गई ऐसी प्रतिभूतियों के दूसरे या बाद के प्रस्ताव के संबंध में, कोई और प्रॉस्पेक्टस आवश्यक नहीं है।

(2) इस तरह के दोहराए गए / शेयरों के बाद के मुद्दे से संबंधित अन्य औपचारिकताओं – एक शेल्फ प्रॉस्पेक्टस दाखिल करने वाली कम्पनी को एक सूचना ज्ञापन दर्ज करना होगा जिसमें नए शुल्कों से संबंधित सभी भौतिक तथ्यों को शामिल किया जाना चाहिए, कंपनी की वित्तीय स्थिति में परिवर्तन जो बीच में हुआ है सिक्योरिटीज की पहली या पिछली पेशकश और सिक्योरिटीज के सफल प्रस्ताव और निर्धारित समय के भीतर रजिस्ट्रार के साथ निर्धारित समय के भीतर रजिस्ट्रार के साथ, शेल्फ प्रॉस्पेक्टस के तहत प्रतिभूतियों के दूसरे या बाद के प्रस्ताव के पहले।

इस प्रकार, प्रखर लिमिटेड उपर्युक्त प्रावधानों का पालन कर सकते हैं और शेल्फ प्रॉस्पेक्टस जारी कर सकते हैं।

2. vkx d 'k;j tkjh djuk : कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 62 (1) (ए) प्रदान करता है कि यदि किसी भी समय, एक शेयर पूंजी प्रोष रखने वाली कम्पनी के पास शेयरों के मुद्दे से अपनी सब्स्क्राइब की गई पूंजी बढ़ाने के लिए, ऐसे शेयर पेश किए जाने चाहिए प्रस्ताव के दिनांक पर कम्पनी के मौजूदा इक्विटी शेयरधारकों को, उन शेयरों पर भुगतान कीगई पूंजी के अनुपात में।

हालांकि, कम्पनी अधिनियम, 2013 में कुछ अपवाद उपलब्ध कराए गए हैं जब किसी कम्पनी के ऐसे शेयरों को अन्य व्यक्तियों को भी पेश किया जा सकता है। ये अन्तर्गत है :–

(ए) धारा 62 (1) (बी) के तहत कर्मचारियों द्वारा स्टॉक शेयर विकल्प की योजना के तहत कर्मचारियों को आगे के शेयर जारी किए जा सकते हैं, जो कि कम्पनी द्वारा पारित एक विशेष प्रस्ताव के अधीन है और निर्धारित शर्तों के अधीन है।

(ब) धारा 62 (1) (सी) के तहत ऐसे शेयर किसी भी व्यक्ति को दिए जा सकते हैं, यदि यह किसी विशेष प्रस्ताव द्वारा अधिकृत है, या तो नकद के लिए या नकद के अलावा विचार के लिए, यदि ऐसे शेयरों की कीमत मूल्यांकन रिपोर्ट द्वारा निर्धारित की जाती है एक पंजीकृत मूल्यवान के, अध्याय III के लागू प्रावधानों और निर्धारित किसी भी अन्य शर्तों के अनुपालन के अधीन।

(सी) यदि उपरोक्त वर्णित धारा 62 (1) के मामले में शेयरों की पेशकश की जाने वाली कोई भी इक्विटी शेयरधारक, ऐसे प्रस्ताव को अस्वीकार करता है, तो कम्पनी निदेशक मंडल शेयरों का निपटान ऐसे तरीके से निपट सकता है जो शेयरधारकों के लिए हानिकारक नहीं है।

ojh;rk 'k;j/kkjd %

धारा 62 (1) (सी) के शब्दों से, यह स्पष्ट है कि इन शेयरों को किसी भी व्यक्ति को जारी किया जा सकता है जो प्राथमिकता शेयरधारकों के साथ–साथ प्रदान किया जा सकता है,

© The Institute of Chartered Accountants of India

इस तरह के मुद्दे को कम्पनी के एक विशेष प्रस्ताव द्वारा अधिकृत किया गया है और निर्धारित शर्तों पर जारी किया जा सकता है।

3. (i) कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 100 (2) के अनुसार, निदेशक मंडल को न्यूनतम सदस्यों द्वारा मांग पर एक सामान्य बैठक आयोजित करनी होगी।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 (2) (बी) के अनुसार, अगर कम्पनी की बैठक आयोजित करने के लिए नियुक्त समय से आधे घंटे के भीतर कोरम मौजूद नहीं है, तो बैठक, यदि सदस्यों की मांग पर बुलाया जाता है, रद्द कर दिया जाएगा। इसलिए, बैठक रद्द कर दी गई है और निदेशक मंडल द्वारा इसे स्थगित करने के लिए उठाए गए कदम, नहीं हैं।

(ii) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार हर कम्पनी 1,000 करोड़ रूपये या उससे अधिक किसी भी वित्तीय वर्ष के दौरान रूपए का कारोबार होने एक कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व का कमिटी गठन करेगा। इसलिए, मैरी लिमिटेड को बोर्ड की कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी का गठन करना है, क्योंकि इसमें 1200 करोड़ रूपए का कारोबार है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 (5) के संदर्भ में, प्रत्येक कम्पनी का बोर्ड जो धारा 135 लागू है, यह सुनिश्चित करेगा कि कम्पनी हर वित्तीय वर्ष में कम्पनी के औसत शुद्ध मुनाफे का कम से कम 2 प्रतिशत खर्च करेगी अपनी सीएसआर नीति के अनुसरण में, तत्काल वित्तीय तीन वर्षों के दौरान बनाया गया। अगले वर्ष/वर्षों में अतिरिक्त व्यय को आगे बढ़ाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। खंड में उपयोग किए गए शब्द 'कम से कम' हैं। इसलिए, 2% से अधिक व्यय स्वैच्छिक उच्च खर्च के रूप में माना जाएगा। इसलिए, सीएसआर व्यय के एक हिस्से के रूप में, इस तरह के अतिरिक्त खर्च की गणना अगले वित्तीय वर्षों में नहीं की जाएगी।

4. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 109 हाथों के प्रदर्शन पर किसी भी प्रस्ताव पर मतदान के नतीजे से पहले या उससे पहले मतदान की मांग प्रदान करती है। तदनुसार कानून कहता है कि :—

बैठक के अध्यक्ष द्वारा मतदान की मांग का आदेश :

हाथों के प्रदर्शन पर या पहले किसी भी प्रस्ताव पर वोटिंग के नतीजे की घोषणा को अपने स्वयं के प्रस्ताव पर बैठक के अध्यक्ष द्वारा मतदान का आदेश दिया जा सकता है, और उस तफ से किए गए मांग पर उनके द्वारा लेने का आदेश दिया जाएगा :—

(ए) यदि किसी कम्पनी में व्यक्ति या प्रॉक्सी द्वारा मौजूद सदस्यों द्वारा शेयर पूंजी रखने वाली कम्पनी, जहां अनुमति दी जाती है, और कुल मतदान शक्ति का दसवां हिस्सा नहीं है या जिन शेयरों पर कुल राशि पांच लाख से कम नहीं है रूपये या ऐसी उच्च्व राशि निर्धारित की जा सकती है; तथा

© The Institute of Chartered Accountants of India

(ब) किसी भी अन्य कम्पनी के मामले में, व्यक्ति या प्रॉक्सी द्वारा मौजूद किसी भी सदस्य या सदस्यों द्वारा, जहा¡ अनुमति दी जाती है, और कुल वोटिंग शक्ति का दसवा¡ हिस्सा नहीं होता है।

मांग को वापस लेना : किसी भी समय मांग के लिए किए गए लोगों द्वारा मतदान की मांग वापस ले ली जा सकती है।

इसलिए, ख पर के रूप में है कम्पनी अधिनियम, 2013 के उपरोक्त प्रावधानों पर :

(i) दिए गए मामले में, कुल मतदान शक्ति के 1/10 से अधिक सदस्यों के पास सर्वेक्षण (प्रॉक्सी समेत) द्वारा मांग की जाती है। इसलिए, वह अध्यक्ष सी एनोट ने चुनाव की मांग को खारिज कर दिया क्योंकि सर्वेक्षण में व्यक्तियों द्वारा या प्रॉक्सी द्वारा मांग की जा सकती है। कंपनी के लेखों में प्रावधान के अधीन।

(ii) अध्यक्ष सी ने मतदान की मांग वापस लेने के लिए सदस्यों के अनुरोध को खारिज कर दिया।

5- dEiuh vf/kfu;e] 2013 dh /kkjk 48 d vu|lkj &

(1) सहमति के साथ शेयरधारकों के अधिकारों में भिन्नता : जहा¡ कम्पनी की शेयर पू¡जी शेयरों के विभिन्न वर्गों में विभाजित होती है, किसी भी वर्ग के शेयरों से जुडे अधिकारों को तीन – चौथाई से कम नहीं धारकों के लिखित में सहमति के साथ अलग किया जा सकता है उस वर्ग के जारी किए गए शेयरों के धारकों की एक अलग बैठक में पाारित एक विशेष प्रस्ताव के माध्यम से उस वर्ग के जारी किए गए शेयर :–

(ए) यदि इस तरह के बदलाव के संबंध में प्रावधान ज्ञापन या कम्पनी के लेखों में निहित है; या

(ख) ज्ञापन या लेखों में ऐसे किसी प्रावधान की अनुपस्थिति में, यदि उस वर्ग के शेयर जारी करने की शर्तों से ऐसी भिन्नता प्रतिबंधित नहीं है :

बशर्ते कि यदि शेयरधारकों के एक वर्ग द्वारा भिन्नता शेयरधारकों के किसी भी अन्य वर्ग के अधिकारों को प्रभावित करती है, तो शेयरधारकों के इस तरह के अन्य वर्ग के तीन–चौथाई की सहमति भी प्राप्त की जाएगी और इस खंड के प्रावधान इस तरह के बदलाव पर लागू होंगे।

(2) भिन्नता के लिए कोई सहमति नहीं : जहा¡ श्रेणी के जारी किए गए शेयरों के दस प्रतिशत से कम नहीं धारक इस तरह के बदलाव या सहमति के लिए विशेष प्रस्ताव के पक्ष में वोट नहीं देते हैं, वे भिन्नता के लिए ट्रिब्यूनल पर आवेदन कर सकते हैं रद्द कर दिया गया, और जहा¡ कोई ऐसा आवेदन किया गया है, तब तक भिन्नता तब तक प्रभावी नहीं होगी जब तक कि ट्रिब्यूनल द्वारा इसकी पुष्टि नहीं की जाती है :

© The Institute of Chartered Accountants of India

c'kr| कि इस धारा के तहत एक आवेदन उस तारीख के बीस दिनों के भीतर किया जाएगा जिस पर सहमति दी गई थी या संकल्प पारित किया गया था, जैसा भी मामला हो, और आवेदन करने के हकदार शेयरधारकों की ओर से किया जा सकता है इस तरह के एक या अधिक संख्या के द्वारा वे उद्देश्य के लिए लिखित में नियुक्त कर सकते हैं।

6. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 67 (2) के तहत, किसी भी सार्वजनिक कम्पनी को प्रत्यक्ष, परोक्ष रूप से देने की अनुमति नहीं है और चाहे ऋण, गारंटी, या सुरक्षा के माध्यम से, किसी उद्देश्य के लिए या किसी भी वित्तीय सहायता के माध्यम से, खरीद या सदस्यता, इसमें किसी भी शेयर के किसी भी व्यक्ति द्वारा उसके होल्डिंग कम्पनी में।

हालांकि, धारा 67 (3) कम्पनियां अपने कर्मचारियों या प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों के अलावा अपने कर्मचारियों को ऋण देने की इजाजत देकर अपवाद बनाती हैं, उनके वेतन या मजदूरी से अधिक की राशि के लिए छह महीने की अवधि के लिए उन्हें सक्षम करने के लिए लाभकारी स्वामित्व के माध्यम से कम्पनी या उसके होल्डिंग कम्पनी द्वारा पूरी तरह से भुगतान किए गए शेयरों के लिए खरीद या सब्सक्राइब करना।

यह आगे प्रदान किया गया है कि मतदान अधिकारों के संबंध में खुलासा कर्मचारियों द्वारा सीधे उन शेयरों के संबंध में नहीं किया जाता है, जिनसे योजना संबंधित है, बोर्ड की रिपोर्ट में निर्धारित की जा सकती है।

इसलिए, हेवी मेटल्स लिमिटेड अपने कर्मचारियों को निर्दिष्ट सीमा तक वित्तीय सहायता प्रदान कर सकता है ताकि वे कम्पनी में शेयरों के लिए सब्सक्राइब कर सकें, बशर्ते कर्मचारियों द्वारा शेयरों के उनके द्वारा लाभप्रद स्वामित्व के लिए खरीदा जा सके।

हालांकि, निदेशकों या प्रमुख प्रबंधकीय कर्मचारी ऐसी सहायता के लिए योग्य नहीं होंगे।

7. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (2) के अनुसार,

(i) सूचीबद्ध कम्पनियों और अन्य निर्धारित कक्षाओं या कम्पनियों के वर्ग (एक व्यक्ति कम्पनियों और छोटी कम्पनियों को छोड़कर) लगातार 5 वर्षों के दो से अधिक शर्तों के लिए लेखापरीक्षक के रूप में लेखा परीक्षा फर्म को नियुक्त या पुनः नियुक्त नहीं करेगा।

(ii) एक लेखापरीक्षा फर्म जिसने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है (यानी लगातार पा¡च साल की दो शर्तें) इस अवधि के पूरा होने से पा¡च साल तक उसी कम्पनी में लेखा परीक्षक के रूप में फिर से नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।

(iii) इसके अलावा, नियुक्ति की तारीख को कोई लेखा परीक्षा एक सामान्य साझेदार या अन्य लेखा परीक्षा फर्म, जिसका कार्यकाल तुरंत एक कम्पनी में समाप्त हो गया है करने के लिए भागीदारों होने फर्म वित्तीय वर्ष पूर्ववर्ती, के रूप में एक की अवधि के लिए एक ही कम्पनी के लेखा परीक्षक पा¡च साल के लिए नियुक्त किया जाएगा।

© The Institute of Chartered Accountants of India

(iv) लेखा परीक्षकों के रोटेशन के प्रयोजन के लिए एक लेखा परीक्षक के मामले में (चाहे एक व्यक्ति या लेखा परीक्षा फर्म), जिस अवधि के लिए व्यक्ति या फर्म अधिनियम के प्रारंभ होने के लेखा परीक्षक के रूप में पद पर कार्य किया है पूर्व के लिए ध्यान में रखा जाना जाएगा मामला, लगातार 5 साल या लगातार 10 साल की अवधि की गणना हो सकता है।

उपर्युक्त प्रावधानों को लागू करना :–

(1) नींबू और कम्पनी 1.4.2014 से 4 वर्षों के लिए मैसर्स बिग लिमिटेड के वैधानिक लेखा परीक्षकों के रूप में जारी रख सकती है, यानी वे केवल 31.3.2018 तक कार्यालय में जारी रह सकते हैं।

(2) शीतलन अवधि 5 साल का होगा।

(3) डेम और कम्पनी को सीए के रूप में, नींबू और कम्पनी की शीतलन अवधि के दौरान मैसर्स बिग लिमिटेड के एक वैधानिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है। एम नींबू और कम्पनी और ड्यू एंड कम्पनी दोनों में सामान्य भागीदार है।

(4) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 138 (1) के अनुसार, प्रत्येक सूचीबद्ध कम्पनी और अन्य निर्धारित कम्पनियों की कम्पनियों को एक आंतरिक लेखा परीक्षक नियुक्त करने की आवश्यकता होगी, जो या तो एक चार्टर्ड एकाउंटेंट या लागत एकाउंटेंट होगा, या ऐसे अन्य पेशेवर (जो या तो एक व्यक्ति या साझेदारी फर्म या बॉडी कॉरपोरेट हो सकता है जैसा कि बोर्ड द्वारा कम्पनी के कार्यों और गतिविधियों के आंतरिक लेखा परीक्षा आयोजित करने के लिए तय किया जा सकता है।

तदनुसार, मैसर्स नींबू एंड कम्पनी के एक आंतरिक लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त किया जा सकता है और इसकी सहायक मैं बिग लि. का मैसर्स डार्क लिमिटेड (एक सूचीबद्ध कम्पनी) में भी कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के तहत दी गई शीतलन अवधि का प्रावधान, आंतरिक लेखा परीक्षकों पर लागू नहीं होगा।

8. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 141 (3) (डी) (i) के अनुसार, एक व्यक्ति जो, या उसके रिश्तेदार या साथी कम्पनी या उसकी सहायक कम्पनी, या उसके होल्डिंग या सहयोगी कम्पनी में कोई सुरक्षा या रूचि रखते हैं या ऐसी होल्डिंग कम्पनी की सहायक कम्पनी को कम्पनी के लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।

हालांकि, कम्पनियों (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षकों) नियम, 2014 के नियम 10 में कहा गया है कि एक लेखा परीक्षक के रिश्तेदार को अंकित मूल्य की कम्पनी में प्रतिभूतियां एक लाख रूपये से अधिक नहीं हो सकती हैं।

दिए गए मामले में सीए अर्जुन की पत्नी श्रीमती सीता, शेयरों का अधिग्रहण स्टेचर बिल्डर्स लिमिटेड से किया। जिसमें वह 15 मार्च 2018 को एक सांविधिक लेखा परीक्षक था जैसा

© The Institute of Chartered Accountants of India

की श्रीमती सीता रखी गई प्रतिभूतिया निर्धारित सीमा 1 लाख के भीतर है अतः इस तरह के लेनदेन वैध है।

हां, गर अधिग्रहित शेयरो का अंकित मूल्य 1,50,000 है तो जवाब अलग होगा। फिर उस मामले में :

(i) निर्दिष्ट अधिग्रहण के 60 दिनों के भीतर निर्दिष्ट सीमा (यानि, 1 लाख) को बनाए रखने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई लेखा परीक्षक द्वारा की जाएगी, या

(ii) लेखा परीक्षक को अपना कार्यालय खाली करना होगा।

9. ik"kn vUrfu;e e cnyko % कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 14, कम्पनियों को अपने लेखों में बदलाव या जोड़ने के लिए शक्ति प्रदान करती है। लेखों में बदलाव के संबंध में कानून निम्नानुसार है :

¼1½ fo'k"k ldYi }kjk ifjorlu : इस अधिनियम के प्रावधानों और इसके ज्ञापन में निहित स्थितियों के अधीन, यदि कोई हो, तो एक कम्पनी एक विशेष प्रस्ताव द्वारा अपने लेखों को बदल सकती है।

¼2½ jftLVªkj d lkFk cnyko dk ifronu :

लेखों में हर बदलाव और परिवर्तन को मंजूरी देने वाले ट्रिब्यूनल के आदेश की एक प्रति रजिस्ट्रार के साथ दायर की जाएगी, साथ ही बदले गए लेखों की मुद्रित प्रति के साथ, पंद्रह दिनों की अवधि में जैसा निर्धारित किया जा सकता है, वही पंजीकरण कौन करेगा।

(3½ fd, x, fdlh Hkh cnyko dk ekU; fd;k tk,xk % उपर्युक्त के रूप में पंजीकृत लेखों में से कोई भी परिवर्तन, इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन होगा, मान्य होगा जैसे कि यह मूल रूप से लेखों में निहित था।

¼4½ iR;d ifrfyfi e cnyko vk;k % किसी कम्पनी के लेखों में किए गए प्रत्येक बदलाव को लेख की प्रत्येक प्रति में नोट किया जाएगा, जैसाभी मामला हो। यदि कोई कम्पनी निर्दिष्ट प्रावधानों का पालन करने में कोई डिफॉल्ट बनाती है, तो कंपनी और प्रत्येक अधिकारी जो डिफॉल्ट रूप से है, इस तरह के बदलाव के बिना जारी किए गए लेखों की प्रत्येक प्रति के लिए एक हजार रूपये के जुर्माना के लिए उत्तरदायी होगा। (धारा 15)

10- ¼1½ fVC;uy dh etjh ij l'kkf/kr foÙkh; oä0; ;k l'kkf/kr fjikVZ dh r;kjh : यदि यह किसी कम्पनी के निदेशकों को दिखाई देता है –

(ए) कम्पनी का वित्तीय विवरण; या

(ख) बोर्ड की रिपोर्ट

© The Institute of Chartered Accountants of India

धारा 129 या धारा 234 के प्रावधानों का पालन न करें वे कम्पनी द्वारा किए गए आवेदन और तरीके से ट्रिब्यूनल की मंजूरी मिलने के बाद तीन पिछले वित्तीय वर्षों में से किसी एक के संबंध में संशोधित वित्तीय विवरण या संशोधित रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं और एक प्रति ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेश रजिस्ट्रार के साथ दायर किया जाएगा :

ukfVl nu d fy, fVC;uy : बशर्ते कि ट्रिब्यूनल केंद्र सरकार और आयकर प्राधिकरणों को नोटिस दे और इस धारा के तहत किसी भी आदेश को पारित करने से पहले उस सरकार या अधिकारियों द्वारा किए गए प्रतिनिधित्व, यदि कोई हो, पर विचार करेगा :

l'kk/ku vkj iujkofÙk d le; dh l[;k : आगे कहा कि इस तरह के संशोधित वित्तीय वक्तव्य या रिपोर्ट को वित्तीय वर्ष में एक से अधिक बार तैयार या दायर नहीं किया जाएगा :

संशोधन का खुलासा करने का कारण : बशर्ते कि ऐसे वित्तीय विवरण या रिपोर्ट के संशोधन के विस्तृत कारणों को प्रासंगिक वित्तीय वर्ष में बोर्ड की रिपोर्ट में भी खुलासा किया जाएगा जिसमें इस तरह के संशोधन किए जा रहे हैं।

¼2½ l'kk/ku dh lhek, : जहां पिछले वित्तीय विवरण या रिपोर्ट की प्रतियां सदस्यों को भेजी गई हैं या रजिस्ट्रार को सौंपी गई हैं या आम बैठक में कंपनी के समक्ष रखी गई हैं, संशोधन को सीमित होना चाहिए –

(ए) जिसके संबंध में पिछले वित्तीय विवरण या रिपोर्ट धाा 12 9 या धारा 134 के प्रावधानों का पालन नहीं करती है; तथा

(ख) किसी भी आवश्यक परिणामी विकल्प बनाने के लिए।

¼3½ l'kkf/kr foÙkh; oä0; ;k fun'kd dh fjikV d lc/k e dn lјdkj }kjk fu;ek dk fuek.k %

केंद्र सरकार संशोधित वित्तीय वक्तव्य या संशोधित निदेशक की रिपोर्ट के संबंध में इस अधिनियम के प्रावधानों के आवेदन के रूप में नियम बना सकती है और ऐसे नियम विशेष –

(ए) विभिन्न प्रावधान करें जिसके अनुसार पिछले वित्तीय या रिपोर्ट को प्रतिस्थापित किया गया है या किसी दस्तावेज द्वारा पूरक किया गया है जो सुधारों को इंगित करता है;

(ब) संशोधित वित्तीय विवरण या रिपोर्ट के संबंध में कम्पनी के लेखा परीक्षक के कार्यों के संबंध में प्रावधान करें;

(सी) निर्देशकों को निर्धारित किए जाने वाले कदम उठाने की आवश्यकता है।

11. (i) भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 134 के अनुसार, लेनदार और मूल देनदार के बीच किसी भी अनुबंध या गारंटी को छुट दी जाती है, जिसके द्वारा मूल

© The Institute of Chartered Accountants of India

देनदार जारी किया जाता है या लेनदार के किसी भी कार्य या चूक से, कानूनी परिणाम जिसमें से प्रमुख देनदार का निर्वहन है।

दिए गए मामले में, बी समझौते के अनुसार आवश्यक सामग्री की आपूर्ति नहीं करता है। इसलिए, सी को उनकी देयता से छुट्टी मिलती है।

(ii) भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 136 के अनुसार, जहा¡ प्रमुख देनदार को समय देने का अनुबंध लेनदार द्वारा तीसरे व्यक्ति के साथ किया जाता है, न कि प्रमुख देनदार के साथ, गारंटी की छुट्टी नहीं दी जाती है।

दिए गए प्रश्न में मूल देनदार को समय देने का अनुबंध एक्स के साथ लेनदार द्वारा किया जाता है जो तीसरा व्यक्ति होता है। एक्स प्रमुख देनदार नहीं है। इसलिए, ए छुट्टी नहीं है।

12. भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 173 के मुताबिक, पनीर न केवल ऋण के भुगतान या वादे के प्रदर्शन के लिए, बल्कि ऋण के हित के लिए, और उसके द्वारा किए गए सभी आवश्यक खर्चों के लिए वचनबद्ध सामानों को बरकरार रख सकता है कब्जे के सामान के लिए या वचन के संरक्षण के संबंध में।

इसलिए, एबीसी बैंक न केवल ऋण के समायोजन के लिए बल्कि ब्याज के भुगतान के लिए श्री अविनाश के व्यवसाय के स्टॉक का भंडार रख सकता है।

13- fojk/k % नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 100 के अनुसार, एक प्रोमिसरी नोट या एक्सचेंज बिल को गैर स्वीकृति या गैर – भुगतान द्वारा अपमानित कया गया है, धारक उचित समय के भीतर, इस तरह के अपमानजनक को नोट किया जा सकता है और एक नोटरी जनता द्वारा प्रमाणित। इस तरह के प्रमाणपत्र को एक विरोध कहा जाता है।

cgrj lqj{kk ds fy, fojk/k%

जब एक्सचेंज के बिल का स्वीकार्य दिवालिया हो गया है, या बिल की परिपक्वता से पहले उसका क्रेडिट सार्वजनिक रूप से प्रभावित किया गया है, धारक उचित समय के भीतर, नोटरी जनता को बेहतर सुरक्षा की मांग कर सकता है एक उचित समय के साथ स्वीकार्य, और इसे अस्वीकार कर दिया जा सकता है। इस तरह के तथ्यों को उपरोक्त के रूप में नोट किया जाना चाहिए और प्रमाणित किया जा सकता है। इस तरह के प्रमाणपत्र को बेहतर सुरक्षा के लिए विरोध कहा जात है।

इस प्रकार, री संदीप उपर्युक्त प्रावधानों का पालन करके विरोध का प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकते हैं।

14- Þnks ;k nks ls vf/kd vf/kfu;eksa ds rgr nMuh; vijk/k ds :i esa iko/kkuß (धारा26) : जहा¡ एक अधिनियम या चूक दो या दो से अधिक अधिनियमों के

© The Institute of Chartered Accountants of India

तहत एक अपराध का गठन करती है, तो अपराधों को किसी भी या किसी भी अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने और दंडित करने के लिए उत्तरदायी होगा, लेकिन एक ही अपराध के लिए दो बार दंडित नहीं किया जाएगा।

इस प्रकार, श्री राम वकील अधिनियम, 1961 या आयकर अधिनियम, 1961 के तहत दंडित करने के लिए उत्तरदायी होंगे, लेकिन उसी अपराध के लिए दो बार दंडित नहीं किया जाएगा।

15- lafo/kku dks iwjh rjg ls i<+sa % यह प्राथमक सिद्धांत है कि एक कानून का निर्माण एक साथ किए गए सभी हिस्सों से किया जाना चाहिए, न केवल एक भाग के। अपने कई खंडों के वास्तविक अर्थ का पता लगाने के लिए कार्य / कानून को पूरी तरह से पढ़ा जाना चाहिए, और प्रत्येक खंड के शब्दों को अन्य प्रावधानों के अनुरूप बनाने के लिए व्याख्या की जानी चाहिए – अगर उस व्याख्या में कोई हिंसा नहीं होती है जिसका अर्थ है कि वे स्वाभाविक रूप से अतिसंवेदनशील हैं। और विधायिका द्वारा पारित अधिनियमों और नियमों के संबंध में एक ही दृष्टिकोण बराबर बल के साथ लागू होगा।

व्यापक सामान्य शब्दों के निर्माण के लिए सबसे सुरक्षित मार्गदर्शिकाओं में से एक यह है कि समान अधिनियम या उपकरण में आयात जैसे अन्य शब्दों की जा¡च करना, यह देखने के लिए कि उन पर सीमाएं क्या लगाई जानी चाहिए। अगर हमें लगता है कि इस तरह के कई अभिव्यक्तियों को सीमाओं और योग्यता के अधीन किया जाना चाहिए और ऐसी सीमाएं और योग्यताएं एक ही प्रकृति के हैं, तो परिस्थिति एक समान सीमा और योग्यता के विवाद में अभिव्यक्ति को अधीन करने के लिए एक मजबूत तर्क बनाती है।

© The Institute of Chartered Accountants of India